

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/88/2020/एफ0 सी0/2013

दिनांक: 28/12/2020

सेवा में,

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगौव से नाही कलां तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.238 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (Online No. FP/UK/ROAD/37612/2018)

सन्दर्भ:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 1594/FP/UK/ROAD/37612/2018 दिनांक 05/11/2020

महोदय,


उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20/10/2020 का जवाब राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रेषित उत्तर में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है जिसकी पूर्ति अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित है:-

1. In reply to point No. 01, no correction has been made at para B 2.4 in Part I and only an undertaking regarding the stabilization of muck uploaded in Part I. State Govt. may provide the correct information at para B 2.4 in Part I and submit a complete muck disposal plan with detailed comments and plan on muck stabilization.
2. बिन्दु संख्या 02 का उत्तर मान्य योग्य नहीं है। डिजिटल मैप के बिन्दु क035 के आगे जनसंख्या 170 दर्शाई गई है जो सही नहीं है। अतः राज्य सरकार मार्ग को पुनरीक्षित कर पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
3. In reply to point No. 03, State Government has not submitted the point wise reply of point no. 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16 & 17 of EDS letter dt. 13.08.2020, which may be submitted now.
4. In reply to point No. 04, no correction has been made. State Govt. may submit the details of trees in cm as provided at para 4 in Part I online.

5. In reply to point No. 05, still the number of trees mentioned in SIR of CF is 389 and in other document its 390 trees. State Government may remove this discrepancy and submit the correct information/documents.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों (अधिकतम 90 दिन) के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,



(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।



(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)